अटल आदर्श ग्राम योजना

उद्देश्य

- (क)–ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना ।

- (ख)–न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों में विकास केन्द्र अवधारणा(Growth Centre Approach) पर आधारित मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं तथा आवश्यक शासकीय सेवाओं से संतृप्तीकरण ।

उद्देश्य

- "अटल आदर्श ग्राम योजना" की परिकल्पना इस रूप में की जा रही है कि विकास कार्यक्रमों से चयनित ग्रामों को इस प्रकार से संतृप्त किया जाये कि उन ग्रामों का तो समग्र विकास हो ही साथ–साथ ये ग्राम विभिन्न सेवा सम्बंधी गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में भी अभिज्ञानित हों । उत्तराखण्ड के प्रत्येक ग्राम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दिया जाना मूलभूत आवश्यकता है । अतः अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी, ताकी मुख्यालय के ग्रामों को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जा सके ।

उद्देश्य

- इस प्रकार ये ग्राम ग्रामीण विकास की धुरी प्रमाणित होंगे । विकास केन्द्र बिन्दु अवधारणा के अनुरूप आस–पास के ग्रामों को कई सुविधायें एवं सेवायें सुलभ हो जायेंगी एवं विकास क्रम के क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में प्रदेश अग्रसर होगा । इससे विभिन्न कार्यो के लिए जनसामान्य को विकासखण्ड तहसील एवं जिला मुख्यालय पर आने–जाने की आवश्यकता में कमी आयेगी । यह रोजगार केन्द्र भी सिद्ध होगा । पर्यटन की सम्भावनाएँ बढ़ेंगीं तथा इन सबके परिणामस्वरूप पलायन रूकेगा ।

उद्देश्य

- प्रदेश में 670 न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों को ग्रामीण विकास केन्द्रों के रूप में एक साथ समन्वित विकास कार्य होने से प्रदेश के धरातल पर विकास दिखलाई पड़ेगा तथा विकास की एक लहर सी पैदा हो जायेगी । उद्देश्य यह भी होगा कि इन न्याय पंचायत केन्द्रों से न्याय पंचायत से सम्बद्ध अन्य ग्रामों को उनकी विभिन्न सुविधाओं के लिए जोड़ा जाए जिससे शनैः–शनैः ये केन्द्र के रूप में उभर सकें ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- 1. राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दृष्टिगत चयनित ग्रामों को निम्न विषयों से सम्बन्धित योजनाओं से 31 मार्च 2010 तक अनिवार्यतः संतृप्त कर दिया जायेगा यदि आवश्यकता अब भी शेष हो ।
- i)प्राथमिक विद्यालय ii) आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ए0एन0एम0 सेन्टर iii) ग्रामीण विद्युतीकरण iv) निर्बल वर्ग हेतु आवास v) स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम vi) ग्रामीण संयोजकता(सड़क निर्माण) ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- 2. निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों से चयनित ग्रामों को 31 मार्च 2011 तक आच्छादित किया जायेगा यदि आवश्यकता शेष हो ।
- i)माध्यमिक विद्यालय बालिका छात्रावास सहित (यदि सम्बन्धित ग्राम से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो) ।
- ii)ग्रामीण बाजार/संग्रहण केन्द्र ।
- iii)कृषि निवेश भण्डार ।
- iv)सहकारी बैंक शाखा अथवा मोबाईल बैकिंग सुविधा (यदि बैंक सम्बंधित ग्राम से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर हों) ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- v)इन्टरनेट आधारित सामुदायिक सेवा केन्द्र(Internet Kiosk) ।
- vi)ग्रामीण मार्ग ।
- vii)सहकारी सस्ता गल्ला विक्रय केन्द्र ।
- viii)पशुसेवा केन्द्र (Stockman Centre) ।
- ix)गोसदान ।
- x)चारा बैंक ।
- xi)बस स्टॉप/यात्री सुविधा केन्द्र (निजी सहभागिता से) ।
- xii)खाद्य भण्डारण सुविधा ।
- xiii)उद्यान सचल ईकाई की सुविधा ।
- xiv)बरातघर निर्माण (SCP/TSP) ।
- xv)दुग्ध संग्रहण एवं विपणन केन्द्र ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- 3–निम्नलिखित योजनायें/कार्यक्रम सम्बंधित ग्राम की भौगोलिक एवं आर्थिक संभावनानुसार वैकल्पिक होंगें जिन्हें इस योजना की जिला समिति द्वारा स्वविवेक से अंगीकृत किया जायेगा ।
- i)घराट एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम (Inclusive of Biogas & Biomass Gassification) ।
- ii)पर्यटक ग्राम योजना ।
- iii)आयुष ग्राम योजना ।
- iv)मत्स्य पालन हेतु Running Water Channels का विकास ।
- v)औद्योगिक एवं दुग्ध उत्पादों के संदर्भ में प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन केन्द्र ।
- vi)उच्चीकरण औद्यानिक नर्सरी ।
- vii)वन पंचायत भूमि में सर्वऋतु चारा प्रजाति रोपण ।
- viii)वन निगम संग्रहण केन्द्र ।
- ix)पैरावेट सेवा केन्द्र ।
- x)Shopping Complex हेतु उपयुक्त भूमि का आरक्षण एवं विकास ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- **4**–विद्यालयों की स्थापना, वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों एवं गो सदन के अधिष्ठापन हेतु यथासंभव निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त की जायेगी । इसके लिए पृथक से रियायतें देने पर विचार किया जाना अपेक्षित है । यहॉ दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन, सिटी मोन्टेसरी स्कूल आदि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को आमंत्रित किया जा सकता है ।
- **5**–राजस्व विभाग के द्वारा कम्प्यूट्रीकृत खसरा/खतौनी की नकल अटल आदर्श ग्राम स्तर पर किसानों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी । इस सुविधा हेतु न्यूनतम व्यय पर अटल आदर्श ग्राम में पटवारी/लेखपाल/कानूनगो के माध्यम से न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्राम में कम्प्यूटर टर्मिनल तथा प्रिंटर लगाकर खसरा/खतौनी की कम्प्यूट्रीकृत प्रति ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जायेगी । इसके लिए वित्तीय व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जा सकती है तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के जिला केन्द्रों द्वारा राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जायेगी ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- 6–अटल आदर्श ग्रामों में आपदा प्रबन्धन इकाईयों के गठन पर भी विचार किया जा सकता है । आपदा की दृष्टि से प्रदेश अति संवेदनशील है, परन्तु अभी प्रभावी रूप से आपदा इकाईयों का गठन ग्राम स्तर पर नहीं किया जा सका है । आपदा से निपटने के लिए पूरे न्याय पंचायत के लिए अटल आदर्श ग्राम में आपदा प्रबन्धन दल का गठन कर उनको खोज एवं बचाव दल के रूप में आपदा के समय प्रयोग किया जायेगा । वर्तमान में आपदा के खोज एवं बचाव के उपकरण तहसील स्तर पर उपलब्ध कराये गये हैं । न्यूनतम आवश्कताओं का आकलन करते हुए उपकरण अटल आदर्श ग्राम स्तर पर पूरे न्याय पंचायत मुख्यालय के लिए उपलब्ध कराये जाये तो अटल आदर्श ग्राम में आपदा प्रबन्धन इकाई को प्रभावी रूप से सक्रिय किया जा सकता है । इसके लिए आपदा प्रबन्धन विभाग से आवश्यक उपकरण क्रय तथा खोज एवं बचाव दल गठित कर प्रशिक्षण देने हेतु आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका इस कार्य हेतु कारगर सदुपयोग करके आपदा प्रबन्धन व्यवस्था का सार्थक विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है ।

योजना का स्वरूप एवं नियोजन

- **7**—पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं आकर्षण क्षेत्र के अटल आदर्श ग्रामों को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । पर्यटन विभाग द्वारा संचालित बीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना के गैर—परिवहन घटक में निर्धारित धनराशि को अटल आदर्श ग्रामों के उद्यमियों के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाये । इस प्रकार महत्वपूर्ण एवं आकर्षक क्षेत्रों के अटल आदर्श ग्रामों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं भी पर्यटन से उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा, जिसके पृथक से वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं होगी ।

वित्त पोषण

- 1–चिन्हित ग्रामों में सुविधा रहित अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में 31 मार्च 2011 तक सुनिश्चित कराया जायेगा । योजना का वित्त पोषण वर्तमान वर्ष 2009–10 हेतु रेखीय विभागों की चालू योजनाओं से ही सुनिश्चित किया जायेगा । Gap Funding के लिए यथा आवश्यकता पृथक से प्रस्ताव जिलाधिकारी की संस्तुति सहित शासन को विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराए जायेंगे ।

वित्त पोषण

- 2–विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, त्वरित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, Source Water Assessment and Protection सम्बंधी दिशानिद्रेशों के अनुसार पेयजल सुविधा विकास योजना, राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन आदि से प्रथम प्राथमिकता से इन ग्रामों का आच्छादन किया जायेगा । कतिपय योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के वित्तीय संसाधनों का वर्णित सुविधाओं को विकसित करने हेतु या तो स्वतंत्र रूप से परियोजना निर्मित की जायेगी अथवा अन्य योजनाओं के साथ युगपितीकरण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) किया जायेगा ।

वित्त पोषण

- 3–रेखीय विभागों में आयोजनागत मद में अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपलब्ध धनराशि शीर्ष प्राथमिकता आधार पर चिन्हित अटल आदर्श ग्रामों में व्यय की जायेगी ।
- 4–समाज कल्याण विभाग की अटल आवास योजना से अनु0जाति/जनजाति परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जायेगा ।
- 5–अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में Gap Funding व्यवस्था Special Component तथा Tribal Sub Plan के अधीन आवंटन से सुनिश्चित की जायेगी ।

वित्त पोषण

- **6**—चयनित अटल आदर्श ग्रामों को संतृप्त करने हेतु पूर्व से संचालित चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अर्न्तगत निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध परिव्यय/बजट व्यवस्था की सीमा में ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय **अर्थात् विभागीय योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर इन चयनित अटल आदर्श ग्रामों में केन्द्रीभूत किया जाय** ।
- **7**—प्रस्तावित अटल आदर्श ग्राम के निकटवर्ती ग्रामों में यदि कोई सुविधा पूर्व से स्थापित है तो उसके उपलब्ध होते हुए उक्त चयनित ग्राम में वही सुविधाएं मानकों के अन्तर्गत ही स्थापित की जायें अन्यथा पूर्व से स्थापित सुविधाओं का ही उपयोग किया जाय ।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी योजना के नोडल अधिकारी होंगे। जनपद स्तर पर योजना के नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिला स्तरीय अधिकारियों की निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है । जनपद स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए संगत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेगी एवं कार्यों की समीक्षा करेगी । इसके सदस्य संयोजक मुख्य विकास अधिकारी होंगें । इस समिति की बैठक प्रत्येक पक्ष में एक बार होगी । प्रत्येक परगना स्तर पर इन कार्यों के क्रियान्वयन का समन्वयन उपजिलाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जो प्रत्येक पक्ष में जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- **जिला स्तरीय योजना नियोजन–क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति :**

- जिलाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य सचिव
- जिला विकास अधिकारी – सचिव
- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 – सदस्य
- मुख्य कृषि अधिकारी – सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
- जिला उद्यान अधिकारी – सदस्य
- प्रभारी वनाधिकारी – सदस्य
- मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, लो.नि.वि. – सदस्य

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- अधिशासी अभियंता, जल संस्थान – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, जल निगम – सदस्य
- परियोजना प्रबन्धक, स्वजल – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, सिंचाई – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, ग्रा.अभि.सेवा – सदस्य
- अधिशासी अभियंता, विद्युत – सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, (स.क.) – सदस्य
- सहायक निदेशक, जलागम – सदस्य
- जिला पूर्ति अधिकारी – सदस्य
- एल.डी.एम. (डील बैंक) – सदस्य
- जिला प्रबन्धक, नाबार्ड – सदस्य
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी – सदस्य सह–सचिव
- जनपद के दो ब्लाक प्रमुख – सदस्य
- (रोस्टर के अनुसार)

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं जिसमें सुविधा–युक्त एवं सुविधा–रहित की वर्तमान स्थिति स्केलोग्राफ के माध्यम से स्पष्ट की गयी है जिसके अनुसार सुविधा–रहित ग्रामों में संतृप्तिकरण की कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तैयार करते हुए अटल आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, ताकि 31 मार्च 2011 तक सुविधा–रहित ग्राम चिन्हित क्रियाकलापों से पूर्णतः संतृप्ति हो सकें ।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- जिलाधिकारी जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष इस योजना के अर्न्तगत किये गये कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण सुनिश्चित करेंगें । इस सामाजिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्थायें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गई सामाजिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था के शब्दशः अनुरूप होगी ।
- विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगें तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए सहायक विकास अधिकारी को न्याय पंचायत प्रभारी की तैनाती की जायेगी तथा प्रत्येक पक्ष में विकास खण्ड स्तर पर न्याय पंचायतवार इसकी नियमित एवं अनुश्रवण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

जनपद – देहरादून

क0 सं0	न्याय पंचायत का नाम	न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम सभाओं की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल जन संख्या	न्याय पंचायत के मुख्यालय ग्राम में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं का विवरण														
						मोटर मार्ग से ग्रामीण संयोजकता	विद्युतीकरण	पेयजल सुविधा	माध्यमिक शिक्षा	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	आंगनवाड़ी केन्द्र	ग्रामीण स्वच्छता	पंचायत भवन	सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता	कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र	पशु सेवा केन्द्र	साधन सहकारी समिति	पोस्ट ऑफिस सुविधा	बैंकिग सुविधा	दूरभाष सुविधा	सिंचाई सुविधा
						हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	कालसी																				
1	डागुरा	डागुरा	11	21	5200	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ
2	उदपाल्टा	उदपाल्टा	12	28	7266	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं
3	कोरूवा	कोरूवा	9	18	5560	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
4	नराया	नराया	5	7	3083	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ
5	भंजरा	भंजरा	13	21	6857	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं
6	कोटी	कोटी	9	16	5542	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं
7	कालसी	कालसी	15	35	11497	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
8	खाड़ी	खाड़ी	9	28	4104	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं
9	मुन्धान	मुन्धान	14	30	6018	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ		हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
	चकराता																				
1	बृनाड बास्तिल	बृनाड बास्तिल	18	31	14113	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
2	भुनाड	भुनाड	8	13	3994	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	काण्डोई बोन्दर	काण्डोई बोन्दर	12	14	5242	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ
4	मिण्डाल	मिण्डाल	7	10	4549	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ
5	भन्द्रोली	भन्द्रोली	6	14	4596	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं
6	दसऊ	दसऊ	10	16	6282	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	हॉ	हॉ
7	बेगी	बेगी	8	13	4300	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

8	जाड़ी	जाड़ी	8	12	5493	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
9	रंगेऊ	रंगेऊ	20	31	10897	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
	सहसपुर																				
1	भगवन्तपुर	भगवन्तपुर	16	32	14852	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	पंडितवाड़ी	आरकेडियाग्रांट	5	7	32918	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	रामपुर भाऊवाला	रामपुर भाऊवाला	11	28	13045	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
4	झाझरा	झाझरा	7	13	18935	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	आमवाला	आमवाला	8	18	8329	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	सहसपुर	सहसपुर	8	10	31740	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
	विकासनगर																				
1	धर्मावाला	धर्मावाला	11	13	22049	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	सभावाला	सभावाला	8	10	18853	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	सोरना	सोरना	8	11	10517	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	लांघा	लांघा	9	9	6490	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
5	एनफील्डग्रान्ट	ढकरानी	16	27	67946	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	डोईवाला																				
1	रानीपोखरी ग्रांट	रानीपोखरी ग्रांट	9	22	14986	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	भानियावाला	भानियावाला	7	14	26886	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	मारखमग्रांट	मारखमग्रांट	6	15	27222	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	मियॉवाला	मियॉवाला	9	10	28569	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
5	श्यामपुर	श्यामपुर	16	20	60650	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
	रायपुर																				
1	रायपुर	रायपुर	12	24	39371	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
2	सेवलाकलां	सेवलाकलां	8	11	25047	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	सोरना	सोरना	10	17	6472	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
4	गुजराड़ा मानसिंह	गुजराड़ा मानसिंह	7	17	6937	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
5	थानों	थानों	13	36	7751	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
6	अजबपुर खुर्द	नत्थनपुर	5	7	15614	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

परिशिष्ट–'घ'

अटल आदर्श ग्राम योजना का मासिक प्रगति सूचना प्रपत्र

जनपद :.....

माहः 2009

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना/कार्य का नाम	विकासखण्ड का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वित्तीय (लाख रु. में)			भौतिक				
						स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय	इकाई	योजना/कार्य प्रारम्भ की तिथि	योजनाएं/कार्य पूर्ण	योजनाएं/कार्य प्रगति पर %	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण संयोजकता											
2	विद्युत विभाग	विद्युतीकरण											
3	पेयजल विभाग	पेयजल											
4	शिक्षा विभाग	माध्यमिक शिक्षा											
5	स्वास्थ्य विभाग	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र											
6	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी											
7	पेयजल विभाग	ग्रामीण स्वच्छता											
8	पंचायत विभाग	पंचायत भवन											
9	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	सरकारी सस्ता गल्ला											
10	कृषि विभाग	कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र											
11	पशुपालन विभाग	पशु सेवा केन्द्र											
12	सहकारिता विभाग	साधन सहकारी समिति											
13	सिंचाई विभाग	सिचाई सुविधा											

धन्यवाद